

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या 1829, 1830 व 1831 / 2008 / जयपुर

मैसर्स मार्क इन्फोसिस्टम,  
105, त्रिमूर्ति लुहाड़िया टॉवर, सी-स्कीम,  
जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,  
संभाग-द्वितीय, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य  
श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित ::

श्री मोती कोटवानी,

.....अपीलार्थी की ओर से.

अभिभाषक।

श्री एन.के.बैद,

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

उप-राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक : 23.06.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी, व्यवहारी द्वारा उक्त तीन अपीलें, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स-द्वितीय), जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्त अपीलीय आदेश दिनांक 12.06.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जो क्रमशः अपील संख्या 158, 159 व 160 / अपील्स-II / आर.वी.टी. / जयपुर / बी / 06-07 के संबंध में है तथा जिनमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन, संभाग-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के तहत तहत निर्धारण वर्ष 2006-07 के तीन त्रैमासों यथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय (दिनांक 01.10.2006 से दिनांक 18.12.2006 तक) के लिये पारित पृथक-पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 08.01.2007 के जरिये तालिका-I अनुसार कायम की गयी अंतर कर, अनुवर्ती ब्याज व शास्ति की मांग राशियों की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है।

तालिका-I

(₹)

अपील संख्या	निर्धारण अवधि	अंतर कर	अनुवर्ती ब्याज	अधिनियम की धारा 61 शास्ति
1829 / 2008	01.04.2006 से 30.06.2006	₹14,033/-	₹926/-	₹28,066/-
1830 / 2008	01.07.2006 से 30.09.2006	₹38,577/-	₹1,322/-	₹77,154/-
1831 / 2008	01.10.2006 से 18.12.2006	₹60,873/-	₹909/-	₹1,21,746/-

लगातार.....2

अपील संख्या -1829, 1830 व 1831 / 2008 / जयपुर

2. चूंकि तीनों प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु सादृश्य है। अतः तीनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 18.12.2006 को किया गया। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2006-07 की कमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय तिमाही के संबंध में संधारित दस्तावेजों व अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जारी किये गये विक्रय बिलों की जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) मॉडल नं0-आईआर 2016, आईआर 1510, आईआर 1210, आईआर 1600) का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से घोषित किया गया है जबकि उक्त विक्रय की गयी वस्तु फोटो कॉपीयर्स मशीन की श्रेणी में है, जिस पर अधिनियम की अनुसूची-V के तहत 12.5 प्रतिशत की दर से कर दायित्व है अतः प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधियों में घोषित मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) की बिक्री कमशः ₹1,65,098/-, ₹4,53,846/- व ₹7,16,153/- को फोटो कॉपीयर मशीन की बिक्री मानकर, तालिका-I अनुसार 8.5 प्रतिशत की दर से अंतर कर, अनुवर्ती ब्याज व अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जानबूझकर 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल को 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना घोषित करने के कारण, अधिनियम की धारा 61 के तहत देय कर की दोगुना शास्ति आरोपित करने हेतु नोटिसेज जारी किये गये। नोटिसेज की पालना में, अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से श्री मोती कोटवानी, अभिभाषक ने उपस्थित होकर, जवाब प्रस्तुत किया। जिसे प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अतिरिक्त आयुक्त, (विधि), वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर के द्वारा मैसर्स रीको इण्डिया लि., जयपुर के प्रकरण में अधिनियम की धारा 36 के तहत पारित अभिनिर्धारण आदेश दिनांक 25.11.2006 के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) के घोषित विक्रय को 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित कर, इस संबंध में घोषित आवर्त पर अंतर कर 8.5 प्रतिशत की दर से तथा अधिनियम की धारा 55 के तहत अनुवर्ती ब्याज व अधिनियम की धारा 61 के तहत कर की दोगुना शास्ति आरोपित कर, पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 08.01.2007 पारित किये गये। उक्त पारित आदेशों के विरुद्ध, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष तीन अपीलें प्रस्तुत करने

लगातार.....3

अपील संख्या -1829, 1830 व 1831 / 2008 / जयपुर पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, (विधि), वाणिज्यिक कर, जयपुर के द्वारा मैसर्स रीको इण्डिया लि., जयपुर के प्रकरण में अधिनियम की धारा 36 के तहत पारित अभिनिर्धारण आदेश दिनांक 25.11.2006 के प्रकाश में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किया गया विक्रय, जो मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) का घोषित किया गया था, को फोटो कॉपीयर मशीन का विक्रय होना अवधारित कर, घोषित विक्रय पर 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण ही उचित माना क्योंकि राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा उक्त अभिनिर्धारण आदेश की पुष्टि जरिये निर्णय दिनांक 09.10.2007 किये जाने के कारण, इस संबंध में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज व अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शासितयों की कायम की गयी मांग राशियों की पुष्टि कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जिनसे व्यक्ति होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त तीन अपीलें प्रस्तुत की जाकर, अपीलीय आदेश दिनांक 12.06.2008 को चुनौती दी गयी हैं।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर कथन किया गया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्ट्या ही अविधिक एवम् अनुचित है। इस संबंध में प्रथम प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर अभिवाक् किया कि हस्तगत तीनों अपील प्रकरणों में अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है जैसाकि प्रथम सुनवायी तिथि को ही आलोच्य अवधियों के निर्धारण आदेश पारित कर दिये गये हैं, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 48 व प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन है। द्वितीय प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर कथन किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदय द्वारा दिनांक 09.03.2010 को प्रस्तुत बजट में बिन्दु संख्या-292 के जरिये विशेष रूप से घोषणा की गयी है कि 'कतिपय वस्तुओं यथा कोलतार, बिटुमिन, लाईमस्टोन, जेनरेटर एवम् इन्वर्टर्स, ऑटोमोबाईल बॉडी, पी.बी.एक्स., इलैक्ट्रोड्स, ब्राण्डेड रेडीमेड गॉरमेन्ट्स, मल्टी फंक्शनल डिवार्इसेज, यू-फोम कुछ केमीकल्स एवम् हाईवोल्टेज केबल्स को वैट अधिनियम की अनुसूची-IV से हटाया जाना प्रस्तावित किया गया है, जो इस तथ्य का प्रतीक है कि दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 18.10.2006 की अवधि के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi Functional Printers) अधिनियम की

अपील संख्या -1829, 1830 व 1831 / 2008 / जयपुर

अनुसूची-IV के इन्द्राज कमांक-65 के अनुसार इसके पार्ट-A में अंकित इन्द्राज संख्या-3 के आलोक में, 4 प्रतिशत से ही कर योग्य थे। अतः ऐसी स्थिति में, उठायी गयी दोनों प्रारम्भिक आपत्तियों के आलोक में, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेश अपास्त कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी, जो राज्य में एक पंजीकृत व्यवहारी है, के द्वारा आलोच्य अवधियों में मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) ही विक्रय किये गये हैं तथा जो अधिनियम की अनुसूची-IV के इन्द्राज संख्या-65 के अनुसार उक्त अनुसूची-IV के पार्ट-ए के कमांक-3 पर वर्णित इन्द्राज “कम्प्यूटर सिस्टम एण्ड पेरीफेरल्स, कम्प्यूटर प्रिन्टर्स” में शामिल है तथा इस पर अधिसूचित कर दर 4 प्रतिशत है जैसाकि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना कमांक एफ.12(63) एफडी/टैक्स-2005-158 दिनांक 31.03.2006 (समय-समय पर यथा सशोधित) जारी की गयी है। तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपर्युक्त वर्णित अधिसूचना के अनुसार ही आलोच्य अवधियों में अधिसूचित कर दर 4 प्रतिशत से कर संग्रहण किया जाकर, नियमानुसार समय-समय संग्रहीत कर को जमा कराया गया है। अग्रिम अभिवाक् किया कि जहां तक प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा बिक्रीत वस्तु मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) को फोटो कॉपीयर मशीन मानकर, 8.5 प्रतिशत की दर से अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज आरोपित करने का प्रश्न है, उक्त जानबूझकर पूर्वाग्रस्त होकर अपीलार्थी व्यवहारी के व्यापारिक हितों को नुकसान पहुँचाने के मद्देनज़र किया गया है जैसाकि “कम्प्यूटर सिस्टम एण्ड पेरीफेरल्स व कम्प्यूटर प्रिन्टर्स शब्दावली को ना तो अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ना ही प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा इस संबंध में उक्त शब्दावली का विस्तृत निर्वचन पारित निर्धारण आदेशों में ही किया गया है। अग्रिम तर्क दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, जो कि एक केन्द्रीय अधिनियम है, में इन शब्दों को परिभाषित किया गया है तथा इस संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 2(i) के प्रावधानों की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया गया कि कम्प्यूटर के कार्यों में डाटा का इन्द्राज कर, इन्हें एनकोडिंग कर, इस संबंध में निर्देश प्राप्त करना, डाटा को प्रोसेस करना एवम् डिकोडिंग तथा डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर, नतीजे प्राप्त करना शामिल है। इस संबंध में विशिष्ट रूप से तर्क दिया कि “डिकोडेड डाटा से परिणाम प्राप्त करने के लिये सबसे सामान्य आऊटपुट

अपील संख्या –1829, 1830 व 1831/2008/जयपुर  
डिवाईस प्रिन्टर है”। जिसके द्वारा कागज पर नतीजे प्रदान किये जाते हैं।  
मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) मूलतः नेटवर्क प्रिन्टिंग के काम आते हैं। इस संबंध में मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) को डिजीटल फोटो कॉपीयर मशीन से भिन्न होने का तर्क दिया गया तथा मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) के फीचर्स की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया गया कि मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) में इमेजिंग सिस्टम होता है जिसमें इनबिल्ट प्रिन्टर कार्ड होता है जिसकी प्रिन्टिंग की रफ्तार 12 से 16 पेज प्रति मिनट होती है तथा उक्त में स्टेण्डर्ड मेमोरी 192 मेगाबॉयट होती है एवम् इसकी प्रौद्योगिकी (technology) लेजर है। कथन किया कि इसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम विन्डोज 98/एस 8/2000/एक्सपी/सर्वर 2003/32 बिट होता है तथा प्रोसेसिंग क्षमता 100 से 1200 मेगा हर्टज (MHZ) तक होती है। पुनः कथन किया कि मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) में विशेष रूप से तैयार किया गया इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, जो कम्प्यूटर मशीन में कनेक्टिविटी के लिये होता है। कॉपिंग के लिये स्कैनिंग का उपयोग किया जाकर, मूल दस्तावेज की स्कैनिंग की जाती है तथा स्कैन्ड इमेज की प्रिन्टिंग के लिये प्रिन्टर का उपयोग किया जाता है यानी मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर में प्रिन्टिंग फंक्शन का इस्तेमाल कॉपीयर की तरह भी किया जाता है। अग्रिम तर्क दिया कि मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर मूलतः लेजर प्रिन्टर है जिसका उपयोग नेट वर्क प्रिन्टिंग के लिये किया जाता है। केवल आपातकालीन स्थिति में, इसका उपयोग फोटो कॉपीयर के रूप में किया जाता है। कथन किया गया कि खरीददार कभी भी फोटो कॉपीयर के लिये मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) खरीद नहीं करता। अपने कथन के समर्थन में कतिपय खरीदारों के शपथ पत्र भी पेश करना प्रकट किया जाकर, कथन किया गया कि मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) से डिजीटल कॉपिंग का कार्य एक सहायक कार्य है। अग्रिम कथन किया कि किसी भी मशीन के विभिन्न रूपों में प्रयोग में लेने की दशा में, इसकी मशीनरी के पुर्जों का प्रमुख कार्य (dominant function) एवम् उद्देश्य (object) क्या है? यह देखा जाना आवश्यक है। इस संबंध में अग्रिम तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स जीरोक्स इण्डिया लि. बनाम कमिश्नर कस्टम्स, मुम्बई सिविल अपील संख्या 1583/2003 के प्रकरण में निर्णय दिनांक 22.11.2010, 2010 (260) ई. एल.टी. 161 = (2011) 03 आरजीएसटीआर-डी-030 में मल्टी फंक्शनल

अपील संख्या -1829, 1830 व 1831 / 2008 / जयपुर  
मशीन्स (Multi functional machines) के संबंध में विवादाधीन मॉडल नं0 5799  
के लगभग 85 प्रतिशत पार्ट्स व कम्पोनेन्ट्स तथा इसकी वि-निर्माण लागत  
प्रिन्टिंग के संबंध में होने तथा मॉडल नं0 XD155df के 74 प्रतिशत पार्ट्स व  
कम्पोनेन्ट्स प्रिन्टिंग संबंधी कार्य हेतु होने के आलोक में, विवादाधीन मल्टी  
फंक्शनल मशीन्स को कम्प्यूटर की इन्पुट व आउट पुट डिवार्इस अवधारित कर,  
इन मशीनों को कस्टम्स टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्ष 8471.60 में होना  
अवधारित किया है। इसी प्रकार माननीय पश्चिम बंगाल टैक्सेशन ट्रिब्यूनल ने  
भी रीको इण्डिया लि. व अन्य बनाम एसीएसटी, पब्लिक रिलेशन ऑफीसर व  
अन्य (2008) 14 वीएसटी 491 के मामले में समान बिन्दुओं पर यह विधि  
प्रतिपादित की है कि यदि मल्टी फंक्शन कॉपीयर का प्रिन्टर कम्प्यूटर से  
कन्कटेबल है तो ऐसी दशा में मल्टी फंक्शनल मशीन का प्रमुख कार्य प्रिन्टिंग  
है। इसी प्रकार दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया न्यायिक दृष्टांत जो कमशः  
मैसर्स रीको इण्डिया लि. बनाम आयुक्त, (2012) 52 वीएसटी 49 व केनन  
इण्डिया प्रा.लि. बनाम वैल्यू एडेड टैक्स ऑफीसर व अन्य, (2012) 52 वीएसटी  
65 में माननीय न्यायालय ने यह विधि प्रतिपादित की है कि मल्टी फंक्शनल  
मशीन्स के मामले में प्रत्येक मशीन के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण किया जाना  
आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में, माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ  
(खण्डपीठ) के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स रीको इण्डिया लि., जयपुर बनाम  
अतिरिक्त आयुक्त (विधि) वाणिज्यिक कर, राजस्थान जयपुर 29 एस.टी.टी. 06  
व मैसर्स हयूलेट पैकर्ड इण्डिया सैल्स प्रा.लि., जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर  
अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-द्वितीय, जयपुर 25 टैक्स अपडेट 04 में  
प्रतिपादित विधि, मल्टी फंक्शनल मशीन के प्रमुख कार्य (principle/dominant  
function) व इनमें प्रयुक्त पुर्जों की वि-निर्माण लागत के संबंध में किसी प्रकार  
के निष्कर्ष अवधारित किये जाने के अभाव में, हस्तगत तीनों प्रकरणों में लागू  
किये जाने योग्य नहीं है। लिहाजा, माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रोद्वरित  
विनिश्चयन् मैसर्स जीरोक्स इण्डिया प्रा.लि., 2010 (260) ई.एल.टी. 61 = 2011  
03 आर.बी.एस.टी.आर. डी-030 व माननीय देहली उच्च न्यायालय के द्वारा  
मैसर्स रीको इण्डिया लि., बनाम कमिशनर (2012) 52 वी.एस.टी. 49 तथा मैसर्स  
केनन इण्डिया प्रा.लि., बनाम वैल्यू एडेड टैक्स ऑफीसर व अन्य (2012) 52 वी.  
एस.टी. 65 (देहली) व माननीय पश्चिम बंगाल टैक्सेशन ट्रिब्यूनल ने भी रीको  
इण्डिया लि. व अन्य बनाम एसीएसटी, पब्लिक रिलेशन ऑफीसर व अन्य  
(2008) 14 वीएसटी 491 में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में एवम् माननीय कर

अपील संख्या -1829, 1830 व 1831 / 2008 / जयपुर  
बोर्ड के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में उपर्युक्त वर्णित प्रतिपादित विधि के बिन्दुओं  
पर विचार होने के अभाव में, हस्तगत प्रकरणों को प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को  
मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) को फोटो कॉपीयर मशीन  
अवधारित कर, इस संबंध में आरोपित अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज विधिसम्मत  
एवम् उचित नहीं है। अतः उक्त बिन्दुओं पर कायम की गयी मांग राशियों को  
अपास्त कर, इस संबंध में मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers)  
में प्रयुक्त पार्ट्स का प्रमुख कार्य (dominant function) का विश्लेषण कर,  
इसमें प्रयुक्त पार्ट्स व कम्पोनेन्ट्स की वि-निर्माण लागत के संबंध में माननीय  
उच्चतम न्यायालय व माननीय देहली उच्च न्यायालय व पश्चिम बंगाल टैक्सेशन  
ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किये  
जाने की प्रार्थना की गयी।

7. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अधिनियम की धारा 61 के  
तहत आरोपित शास्ति के संबंध में कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर  
योग्य विक्य के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज  
कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की गयी हैं जिनमें किसी प्रकार की  
विक्य की विगत को छुपाया नहीं गया है तथा चूंकि हस्तगत अपीलों में कर  
दर का बिन्दु, उपर्युक्त वर्णित विधिक स्थिति के प्रकाश में, विवादित है एवम्  
माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्य संव्यवहारों के बहीयात  
में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को  
विधिसम्मत नहीं होना माना गया है अतः इस संबंध में अधिनियम की धारा 61  
के तहत जानबूझकर, कर अपवंचन करने के अपराध होना अवधारित कर,  
शास्ति का आरोपण विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है जैसाकि इस संबंध में  
माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है:-

- (i) वाणिज्यिक कर अधिकारी, स्पेशल सर्किल, पाली बनाम् मैसर्स सोजत  
लाईम कम्पनी, 74 एस.टी.सी.288 (राज.)
- (ii) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स बारां कॉपरेटिव मार्केटिंग  
सोसायटी लि. 93 एस.टी.सी. 239 (राज.)
- (iii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स कुमावत उद्योग 97 एस.  
टी.सी. 238 (राज.)

लगातार.....8

अपील संख्या —1829, 1830 व 1831 / 2008 / जयपुर

- (iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर बनाम् मैसर्स एल.एन.टी. कोमात्सू लि. उदयपुर, सैल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 226 / 2009 से 229 / 2009 निर्णय दिनांक 29.03.2010 (राज.)
- (v) मैसर्स लार्ड वैकटेश्वरा कैटरर्स बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन—प्रथम, जयपुर 19 टैक्स अपडेट 85(राज.)
- (vi) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी.एस.टी. 249 (सु.को.)
- (vii) सहायक आयुक्त, उदयपुर बनाम् मैसर्स कॉटेज इण्डस्ट्रीज एक्सपोजिशन लि. (2008) 22 टैक्स अपडेट 289 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]
- (viii) मैसर्स ह्यूलेट पेकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा.लि. बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर—25 टैक्स अपडेट 189[आर.टी.बी.(डी.बी.)]
- (ix) मैसर्स साधवानी ट्रेडर्स, जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर—7 टैक्स अपडेट 43 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]
- (x) मैसर्स रेबेनसन ऑप्टीक्स लि. भिवाड़ी बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—ए, भिवाड़ी, अपील क्रमांक 1437 / 2009 से 1439 / 2009 / अलवर निर्णय दिनांक 12.07.2011. [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।
- (xi) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत—तृतीय, जयपुर बनाम् मैसर्स रेकिट बैन्काईजर इण्डिया लिमिटेड, बी—139, रोड़ नम्बर—12, वी.के.आई.ए., जयपुर अपील क्रमांक 2070 से 2073 / 2010 / जयपुर, 1305 से 1308 / 2010 / जयपुर निर्णय दिनांक 15.09.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।
- (xii) मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि., जयपुर बनाम् वा.क.अ. एन्टीइवेजन, जोन—तृतीय, जयपुर अपील क्रमांक 332 से 335 / 2011 / जयपुर निर्णय दिनांक 19.07.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

8. इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को भी अपास्त कर, इस बिन्दु पर भी अपीलार्थी व्यवहारी की तीनों अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

9. विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर

अपील संख्या –1829, 1830 व 1831 / 2008 / जयपुर

दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, समान बिन्दुओं पर माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1779 से 1783 / 2012 / जयपुर निर्णय दिनांक 10.09.2013 को प्रोद्धरित कर, प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

10. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक विनिश्चयों में प्रतिपादित विधि का सम्मान अध्ययन किया गया । इस संबंध में गुणावगुण पर निर्णय से पूर्व माननीय न्यायालयों के निरंतर प्रतिपादित मत के प्रकाश में, अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी दोनों प्रारम्भिक आपत्तियों पर निर्णय किया जाना विधिसम्मत है । तदनुसार गुणावगुण पर निर्णय से पूर्व दोनों प्रारम्भिक आपत्तियों पर निर्णय किया जा रहा है । इस संबंध में रिकॉर्ड पर संधारित आदेशिकाओं से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री मोती कोटवानी के द्वारा सुनवायी के दौरान प्रस्तुत जवाब के आधार पर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं । रिकॉर्ड के परिशीलन से यह विदित नहीं होता है कि इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सुनवायी हेतु अन्यथा कोई मौका चाहा गया हो ? अतः ऐसी स्थिति में, सुनवायी के युक्तियुक्त मौका नहीं दिये जाने के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्क स्वीकार योग्य नहीं है । लिहाजा, उठायी गयी प्रथम प्रारम्भिक आपत्ति अस्वीकार की जाती है ।

11. जहां तक उठायी गयी द्वितीय प्रारम्भिक आपत्ति का प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदय द्वारा दिनांक 09.03.2010 को बजट प्रस्तुत करते समय बिन्दु संख्या-292 में की गयी घोषणा एवम् इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(2)एफडी/टैक्स/ 10-83 दिनांक 09.03.2010 में अंकित इन्द्राज (vi) का सम्मान अध्ययन किया गया । यद्यपि, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदय द्वारा दिनांक 09.03.2010 को की गयी बजट घोषणा में कतिपय वस्तुओं यथा कोलतार, बिटुमिन, लाईमस्टोन, जेनरेटर एवम् इन्वर्टर्स, ऑटोमोबाईल बॉडी, पी.बी.एक्स., इलैक्ट्रोड्स, ब्राण्डेड रेडीमेड गॉरमेन्ट्स, मल्टी फंक्शनल डिवाईसेज, यू-फोम कुछ केमीकल्स एवम् हाईवोल्टेज केबल्स को वैट अधिनियम की अनुसूची-IV से हटाया जाना प्रस्तावित किया है परन्तु इस संबंध में निर्णय हेतु दिनांक 09.03.2010 से पूर्व अधिनियम की अनुसूची-IV के क्रमांक-65 के पार्ट-A के इन्द्राज संख्या-3

अपील संख्या —1829, 1830 व 1831 / 2008 / जयपुर (समय—समय पर यथा संशोधित) का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार है:— “Computer system and peripherals, computer printers and electronic diaries.” उक्त इन्द्राज के अवलोकन से विदित होता है कि इसमें विशिष्ट रूप से मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi Functional Printers) का उल्लेख नहीं है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायिक निर्णय, जो राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठों (खण्डपीठों) द्वारा कमशः मैसर्स रीको इण्डिया लि., व मैसर्स हयूलेट पैकर्ड इण्डिया सैल्स प्रा.लि., के प्रकरणों में कमशः अपील संख्या 189 / 2007, जयपुर, निर्णय दिनांक 09.10.2007, 29 एस.टी.टी. 06 व अपील संख्या 1574 से 1576 / 2009 / जयपुर, निर्णय दिनांक 16.09.2009, 25 टैक्स अपडेट, 04 को पारित किये गये हैं, में चूंकि समान बिन्दुओं पर मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स (Multi functional printers) पर उपर्युक्त वर्णित बजट घोषणा दिनांक 09.03.2010 के पूर्व ही कर दायित्व 12.5 प्रतिशत होना अवधारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में, दिनांक 09.03.2010 के पूर्व भी बजट घोषणा के बिन्दु संख्या—292 के प्रकाश में, मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स के अधिनियम की अनुसूची—IV के इन्द्राज संख्या—65 के पार्ट—ए के इन्द्राज संख्या—3 में अंकित अभिव्यक्ति “कम्प्यूटर प्रिन्टर्स” में शामिल होने का विद्वान अभिभाषक का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है जैसाकि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के बैंगलोर स्थित खण्डपीठ ने बजट घोषणा के संबंध में मैसर्स महावीर ड्रग हाऊस व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ कर्नाटक व अन्य, 111 एसटीसी 102 के मामले में विधि प्रतिपादित कर, निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया है:—

“ Similarly, it has also been rightly held by the learned single Judge that the budget speech made on the Floor of the Legislative Assembly is neither the law nor a declaration which can be held as enforceable through a court of law. Such speeches till translated into law remain in the realm of proposals. In the case of B.K. Industries v.Union of India (paras 8 and 9) 91 STC 548 (SC) (at pages 552 and 553) ; AIR 1993 SC 2123 (paras 8 and 9) a plea of exemption from levy of cess based on the budget speech of the Finance Minister delivered on the Floor of Lok Sabha was rejected by holding that “the Finance Minister’s speech is not law.” अतः ऐसी स्थिति में, यह अवधारित किया जाता है कि

अपील संख्या -1829, 1830 व 1831 / 2008 / जयपुर  
दिनांक 09.03.2010 के बिन्दु संख्या-292 में की गयी घोषणा ना तो विधि है एवम् ना ही उक्त न्यायालयों द्वारा लागू किये जाने योग्य है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मल्टी फंक्शनल डिवाईसेज़ पर 4 प्रतिशत की कर दर होना अधिनियम की अनुसूची-IV के अनुसार अधिसूचित नहीं है। अतः बजट घोषणा के आधार पर मल्टी फंक्शनल डिवाईसेज़ पर 4 प्रतिशत की दर से अधिसूचित होना स्वीकार करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है जैसाकि राजस्थान कर बोर्ड द्वारा इस संबंध में अनुसूची-IV में अंकित इन्द्राजात की व्याख्या कर मल्टी फंक्शनल प्रिन्टर्स पर आलोच्य अवधियों में कर दायित्व 12.5 प्रतिशत की दर से होना अवधारित किया गया है। फिर भी यदि राज्य सरकार लोकहित में मल्टी फंक्शनल डिवाईसेज़ पर 4 प्रतिशत से अधिक कर दायित्व पर छूट प्रदान करना उचित समझती है तो अधिनियम की धारा 8(3) के तहत राज्य सरकार को ऐसा करने की अधिकारिता है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यात्मक एवम् विधिक स्थिति के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क देना कि बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-292 में की गयी घोषणा के आलोक में, मल्टी फंक्शनल डिवाईसेज़ पर 4 प्रतिशत की दर से कर दायित्व होने का तर्क उपर्युक्त वर्णित तथ्यात्मक एवम् विधिक स्थिति के आलोक में, स्वीकार योग्य नहीं है। लिहाजा, उठायी गयी द्वितीय प्रारम्भिक आपत्ति भी विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

12. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, इस संबंध में कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1779 से 1783 / 2012 / जयपुर मैसर्स इनग्राम माईको इण्डिया लि., जयपुर बनाम वा.क.अ. प्रतिकरापवंचन, जोन-द्वितीय, जयपुर निर्णय दिनांक 10.09.2013 का अध्ययन करने के पश्चात् यह पीठ यह अवधारित करती है कि समान बिन्दुओं पर समन्वय पीठ द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 10.09.2013 के हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु पर विस्तृत निष्कर्ष अवधारित कर, निर्णय पारित कर, विवादित बिन्दु के संबंध में प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया गया है। चूंकि हस्तगत प्रकरण के तथ्य एवम् विवादित बिन्दु पूर्णतः आच्छादित हैं अतः कर बोर्ड के उक्त पारित निर्णय दिनांक 10.09.2013 से पूर्णतः सहमत होते हुये अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज के बिन्दुओं पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है एवम् अधिनियम की धारा 61 के तहत प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती है।

13. परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।

(अमर सिंह) 23-6-14  
सदस्य

23-6-2014  
(मदन लाल)  
सदस्य